पत्रांक-10/न्यू-46/07मा०

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग, बि

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092।

पटना, दिनांक- 7 अगस्त, 08।

विषय:- डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, मथुरापुर, भागलपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 5-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, भागलपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

1- यह विद्यालय डी०ए०वी० मैनेजमेंट सोसाईटी, नई दिल्ली से स्वतंत्र इकाई के अन्तर्गत संचालित है। इस सोसाईटी में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया।

2- विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम का उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3- विद्यालय के नाम कुल 2.68 एकड़ भूमि निबंधित है। की छाया प्रति संलग्न है।

4- विद्यालय के पास [illegible] है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्वयं निरीक्षण कर यह [illegible] कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ [illegible] है।

— 2

Kumar Leena
Teacher Incharge
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mat hurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur, Bihar-813222

Manager
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mathurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur Bihar-813222

5- विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में कुल 12 शिक्षक हैं, जिसमें 7 शिक्षक प्रशिक्षित हैं। सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

6- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

7- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे यह सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

8- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 3-4-2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकायें तथा [illegible] सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपया प्रतिवर्ष होगी।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुली तरीका Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु [illegible] किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का [illegible] नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत [illegible] वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

— 3

Kumari Leena
Teacher Incharge
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mathurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur, Bihar-813222

Manager
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mathurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur, Bihar-813222

9- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

10- साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी। तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा ।शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11- विभागीय पत्रांक 46 दिनांक 18-1-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा ।

12- विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा ।

13- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर डी०ए० वी० पब्लिक स्कूल, भागलपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 888 पटना, दिनांक- 7 अगस्त, 08 ।

प्रतिलिपि प्राचार्य, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

7/8/08

सरकार के उप सचिव ।

7/8/08

Kumari Leena
Teacher Incharge
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mathurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur, Bihar-813222

Manager
D. A. V. Public School
(CBSE Affiliation No.-330259)
Mathurapur, Shivnarayanpur
Bhagalpur, Bihar-813222